न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 106 / 2024 तारीख रजू 02.12.2024

कैलाश पुत्र गप्पू माली निवासी ग्राम खण्डार, तहसील खण्डार। ---- अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ---- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री कमल किशोर सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक** 23.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 258 / 2020 मे पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डार के आराजी खसरा नम्बर 1940 / 456 रकबा 1.00 बीघा किस्म बंजड 1 पर संवत 2077 में जिन्स धान कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 3 माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी ख0नं0 1940 / 456 रकबा 1.00 बीघा बंजड 1 वाके ग्राम खण्डार तहसील खण्डार पर संवत् 2077 में राजकीय भूमि पर धान काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी से दण्डित किया है, जबकि अपीलान्ट का उक्त ख0नं0 1940 / 456 से लगती हुई खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0नं0 1942 / 456 स्थित है जिस पर ही अपीलांट का कब्जा काश्त है उसका उक्त बंजड भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये ही मिथ्या एवं मनगढंत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर ही माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने मौके स्थिति अवलोकन किये बिना ही पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट [illegible] निर्णय पारित किया है इसलिए उक्त अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है इस संबंध में [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय [illegible] को ना तो विधिवत नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जारी किया यदि अपीलांट को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होता तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करते। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकमात्र पटवारी हल्का द्वारा मिथ्या बयानों के आधार पर बिना किसी जिरह का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही पूर्व में पारित बेदखली है इस कारण से अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट के पुत्र की तामील हुई। बाद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलान्ट को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभि.निरीक्षक तथा बयान पटवारी हल्का से अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होना साबित होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में अपीलान्ट ने स्वयं यह माना है कि अपीलान्ट का उक्त विवादित ख0नं0 1940/456 रकबा 1.00 बीघा किस्म बंजड1 पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2020 से पूर्व कब्जा काश्त था लेकिन अपीलान्ट ने दिनांक 12.10.2020 के बाद से उक्त ख0नं0 1940/456 से अपना कब्जा हटा लिया है, मान्य नहीं है। अपीलान्ट ने अपील पेश करते समय अपील में यह अंकित किया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 24.10.2024 को पुलिस थाने के सिपाही घर पर आने से हुई है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का शपथ पत्र में अंकित कथन कि उनके द्वारा दिनांक 12.10.2020 के बाद उक्त ख0नं0 1940/456 से अपना कब्जा हटा दिया है सही साबित नहीं होता है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर